रजिस्ट्री सं० डी०—(डीएन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 20, 1990 (आश्विन 28, 1912)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 1990 (ASVINA 28, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	685
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1203
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1675
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1001
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1157
भाग III—खण्ड 3 मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2827
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	155
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	685
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1203
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1675
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1001
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to patents and Designs . . .	1157
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2827
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	155
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

(इलैक्ट्रानिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1990

संकल्प

सं० सी० सी० आई० सी० एम० पी०/215/3—भारत सरकार ने दिसम्बर, 1986 मे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात, सॉफ्टवेयर विकास तथा प्रशिक्षण से संबंधित नीति की घोषणा की थी। प्रशिक्षण से संबंधित नीति के अन्तर्गत कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा मरम्मत सेवाओं के क्षेत्र मे प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित करने की एक योजना है। ऐसे संस्थानों को कुछ प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है जो कुछ विशिष्ट बाध्यताओं के पालन करने पर ही उन्हे प्राप्त होंगे। इन्हे अब नीचे दिए अनुसार संशोधित किया गया है :—

(i) कम्प्यूटर साधित अनुदेश के लिए तैयार की गई कम्प्यूटर प्रणालियो, हार्डवेयर तथा/अथवा सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर मीडिया मे प्रोग्राम किए हुए पाठ तथा ग्राफिक सामग्रियों, प्रशिक्षण उपस्कर तथा शैक्षिक सहायक उपकरणो के आयात की अनुमति इन संस्थानो द्वारा औद्योगिक व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार दी जाएगी और आयात के दिन लागू होने वाली शर्तों पर सीमा-शुल्क आदि प्रभारित होंगे।

(ii) निम्नलिखित मे से किसी भी प्रयोजन के लिए संस्थानों द्वारा कम्प्यूटर मे संबंधित प्रशिक्षण मे प्रति 100 मानव-वर्ष के लिए 5000 अमरीकी डालर तक की विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जाएगी किन्तु यह राशि प्रतिवर्ष अधिक से अधिक 10,000 अमरीकी डालर तक सीमित होगी।

(क) विदेशों से कम्प्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में विदेशी विशेषज्ञो को बुलाना, जो सुरक्षा से संबंधित सामान्य शर्तों के अन्तर्गत होगा।

(ख) कम्प्यूटर से संबंधित क्षेत्रों मे विदेशों से शिक्षण प्रौद्योगिकी मे परामर्श-सेवा प्राप्त करने के प्रयोजन से।

(iii) जो संस्थान इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा विशेष रूप से गठित अथवा इस कार्य को अंजाम देने के लिए विनिर्दिष्ट निकाय द्वारा क्वालिटी तथा सेवा संबंधी मानदण्डो की कसौटी पर खरे उतरते है, उन्हें निम्नलिखित शब्दो के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी, (पाठ्यक्रम का नाम) के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की योजना के अंतर्गत (इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्राधिकृत उस संस्था का नाम जिसने संस्थान का मूल्यांकन किया है और अनुमोदन प्रदान किया है) द्वारा अनुमोदित।

बाध्यताएं

(i) संस्थान में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग अथवा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा नामित संगठन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार न्यूनतम स्तर की मूल संरचनात्मक सुविधाएं और पूर्णकालिक प्रशिक्षक होने चाहिए।

(ii) विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षणार्थियो को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार कम्प्यूटरों पर सीधे कार्य के माध्यम से न्यूनतम अनुभव प्रदान किया जाएगा।

(iii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग विभिन्न पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमो के लिए, मोटे तौर पर एक मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप मे, समय-समय पर निर्धारित पाठ्यविषय जारी करेगा।

(iv) संस्थान इलैक्ट्रॉनिकी विभाग की गुणवत्ता प्रमाणन की कार्यविधि को जारी रखेंगे। केवल ऐसे संगठन ही प्रोत्साहन के उपयोग के हकदार होगे जो प्रशिक्षण के मूल्यांकन की क्वालिटी पर खरे उतरते हैं।

(v) जहां आवश्यक होगा, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग या तो स्वयं अथवा किसी मनोनीत संगठन के माध्यम से स्थानीय/राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन करेगा और उनके लिए प्रश्न-पत्र बनाएगा तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा, सफल उम्मीदवारों को मनोनीत संगठनों द्वारा प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। इन प्रमाण-पत्रों/डिप्लोमा को रोजगार के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जा सकती है।

(vi) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संस्थान के कम्प्यूटर पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण में कम से कम 50 प्रतिशत पंजीयन योग्यता के आधार पर होगा। (इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विनिर्दिष्ट कोटा भी शामिल होगा)।

(vii) संस्थान अपनी-अपनी मूल संरचनात्मक सुविधाओं आदि के आधार पर उचित शुल्क वसूल करें।

के० राम पॉल
संयुक्त सचिव,

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1990

सं० क्यू० हिन्दी/621/8/89—इस मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 1990 और 27 जून 1990 और 27 जुलाई, 1990 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में विदेश मंत्रालय में भारत सरकार ने इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता, सीतामढ़ी (बिहार) तथा श्री अर्जुन भारतीय, पत्रकार, रक्सोल (बिहार) को सहयोजित सदस्य के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है।

समिति की अन्य शर्तें मंत्रालय के 15 मई, 1990 के समसंख्यक संकल्प में निहित शर्तों के अनुसार ही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, राज्य सभा सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गजानन वाकनकर, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

औद्योगिक विकास विभाग

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 1990

संकल्प

सं० डी० डब्ल्यू० आई०-64(84) डब्ल्यू० पी०—दिनांक 15-9-1989 के संकल्प के अनुक्रम में, भारत सरकार ने लकड़ी पर आधारित उद्योगों (वुड बेस्ड इण्डस्ट्रीज) की विकास नामिका के वर्तमान सदस्य-सचिव (श्री पी० सी० मेहता, अवर औद्योगिक सलाहकार, त०वि०म० नि०) के सेवानिवृत होने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित नाम का प्रतिस्थापन किया है :—

क्र०सं० 25— श्री एन० के० चटर्जी
विकास अधिकारी (रसायन)

उपर्युक्त के अतिरिक्त संकल्प का शेष गठन दिनांक 15-9-1989 वाला ही रहेगा।

आदेश

आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को संचालित की जाए।

यह भी आदेश दिए जाते हैं कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मदन मोहन
निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 6 अगस्त 1990

संकल्प

सं० ई-11017/5/89-हिन्दी—भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों को पुरस्कृत करने के लिए एक योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

1. योजना का नाम :

इस योजना का नाम 'डा० मेघनाद साहा पुरस्कार योजना' होगा।

2. उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चार शाखाओं नामतः इंजीनियरी, भौतिकी, जीवन और रासायनिक विज्ञान में हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करना है।

3. पुरस्कार की राशि :

हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :—

पहला पुरस्कार	15,000 रुपये
दूसरा पुरस्कार	10,000 रुपये
तीसरा पुरस्कार	5,000 रुपये

यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की चारों शाखाओं नामतः इंजीनियरी, भौतिकी, जीवन और रासायनिक विज्ञान में अलग-अलग दिये जाएंगे।

4. यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलायी जाएगी।

5. पुरस्कार सन् 1990 से आरम्भ होंगे और प्रत्येक कलण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग पुरस्कारों के लिए लेखों के आवेदन-पत्र, अंग्रेजी और हिन्दी के प्रमुख समाचार-पत्रों में सूचना प्रकाशित करके आमंत्रित करेगा।

6. लेखक अपने आवेदन निर्धारित फार्म पर भर कर "संयुक्त सचिव (प्रशा०), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), टैक्नोलाजी भवन, नया महरौली मार्ग, नई दिल्ली-110016," को भेजेंगे। अपने आवेदन-पत्र के साथ विचारार्थ पाण्डुलिपियां/प्रकाशित पुस्तकें भी लेखकों निर्धारित संख्या में भेजनी होंगी।

7. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता :

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को छोड़कर विभिन्न वैज्ञानिक विभागों तथा इलैक्ट्रानिकी, महासागर, विकास, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण विभाग, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और जैव-प्रौद्योगिकी विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों सहित सभी भारतीय नागरिक इस स्कीम में भाग ले सकते हैं।

(2) इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियों दोनों पर विचार किया जाएगा।

(3) पाठ्य-पुस्तकों, अर्थात् ऐसी पुस्तकें जिन्हें विशिष्ट रूप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा।

(4) जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर कापीराइट बना रहेगा।

(5) जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका होगा उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा पुरस्कृत नहीं किया जा सकेगा। लेखकों को आवेदन-पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रन्थ अथवा पाण्डुलिपि साफ टाइप की गई प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। साफ टाइप न की गई प्रतियों को अस्वीकार किया जा सकता है।

(6) इस विभाग को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियमों का निर्माण करने का एक मात्र अधिकार होगा।

(7) जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जायेगा, उनको पुरस्कार के वर्ष से पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए।

(8) पांडुलिपियों को इस प्रतियोगिता योजना के लिए उसी सूरत में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा यदि उनके साथ लेखक की यह लिखित वचन-बद्धता आती है कि अगर उसकी पांडुलिपि को पुरस्कार के लिए चुन लिया गया तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की सूचना मिलने के 6 मास के भीतर इसका प्रकाशन कर दिया जायगा। पुरस्कार की राशि पुस्तक के प्रकाशन के बाद दी जाएगी।

(9) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रकाशन की किसी योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका होगा उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(10) प्रत्येक लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक[विषय] के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है । वह एक ही वर्ष में विभिन्न विषयों में पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र होगा ।

8. सामान्य शर्तें :

(1) यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा ।

(2) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक/पांडुलिपि को पुरस्कार दिये जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है ।

(3) पुरस्कार प्रदान किये जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

(4) यह पुरस्कार हर कलैण्डर वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी कलैण्डर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं है तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिये जाएंगे ।

9. मूल्यांकन समिति

(1) पुरस्कार प्रदान किये जाने के लिए पुस्तकों/पांडुलिपियों का चयन करने के लिए अंतर मंत्रालयी समिती होगी ।

(2) इस अंतर-मंत्रालयी समिति में अध्यक्ष को मिला कर 8 सदस्य होंगें । यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित किया जा सकेगा ।

(3) अंतर-मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव द्वारा की जायेगी । समिति का अध्यक्ष विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को इस समिति के साथ संबंधित कर सकता है । इस प्रकार संबंधित किये गये विशेषज्ञों की सिर्फ केवल हलाहकार की होगी ।

(4) यदि अंतर-मंत्रालयी समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए समिति का सदस्य नहीं होगा । इस समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकारी होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकेगी ।

(5) इस समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा । मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को उनके द्वारा किये गये मूल्यांकन कार्य के लिए यथानिर्धारित मानदेय दिया जायेगा ।

(6) अंतर-मंत्रालयी समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा/दैनिक भत्ते प्रदान किये जायेंगे ।

10. कुछ अन्य सामान्य बातें :

मौलिक पुस्तक का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है :—

(1) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई हो,

(2) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो,

(3) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गयी पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो,

(4) जिसे प्रतियोगी ने मूल रूप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में न लिखा हो,

(5) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में लिखा हो ।

(6) जो लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/संक्षिप्त रूप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा तथा/अथवा प्रकाशित कराया हो, तथा

(7) जो किसी सरकारी ठेके के अन्तर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो ।

11 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार रहेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

महिन्द्र सिंह सोखडा
निदेशक (प्रशासन)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 1990

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय मुक्त स्कूल सोसायटी को स्कूल स्तर पर दूरस्थ व मुक्त अध्ययन पद्धति द्वारा कुछ परीक्षाएं आयोजित करने तथा उसके प्रमाणीकरण का अधिकार देना।

सं० एफ० 5-24/90-स्कूल-3—भारत सरकार ने, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल सोसायटी, जोकि एक स्वायत्त तथा पंजीकृत निकाय है, की स्थापना 23 नवम्बर, 1989 को की थी, जिसका उद्देश्य बीच में ही स्कूल छोड़ने वालों, कार्यरत प्रौढ़, घरेलू औरतों व सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित व्यक्तियों की स्कूल स्तर पर शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। सोसायटी राष्ट्रीय मुक्त स्कूल का प्रबन्ध करती है जो दूरस्थ व मुक्त अध्ययन पद्धति द्वारा छात्रों को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा ब्रिज पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

2. राष्ट्रीय मुक्त स्कूल सोसायटी संघ के ज्ञापन की धारा 3(II) के अनुसरण में अब यह निर्णय लिया गया है कि सोसायटी पूर्व डिग्री स्तर तक शिक्षा के स्कूल स्तर पर उपर्युक्त परीक्षाएं आयोजित करेगी चाहे ये शैक्षिक या तकनीकी अथवा व्यावसायिक हों और जो या तो स्वयं राष्ट्रीय मुक्त स्कूल द्वारा अथवा अन्य एजेंसियों के सहयोग से विकसित की गई हों। लेकिन शर्त यह होगी कि इसके लिए सोसायटी के कार्यकारी दल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो अथवा भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, द्वारा इसे आयोजित करने के लिए कहा गया हो।

सोसायटी इस प्रकार के पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों को प्रमाणित करने के लिए भी प्राधिकृत होगी और इन लक्ष्यों के प्रति ऐसे सहायक कार्य करेगी जो आवश्यक हों। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो राष्ट्रीय मुक्त स्कूल सोसायटी की ओर से प्रमाणन तथा परीक्षा लेने वाला प्राधिकरण था, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ऐसा करना बंद कर देगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद, भारतीय विश्वविद्यालय, संघ, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद् और राज्य शिक्षा बोर्ड को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डी० एम० डी० त्रिवेदी
संयुक्त सचिव

कल्याण मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 सितम्बर 1990

संकल्प

सं० 1-33/88/सी० एस० डब्ल्यू०बी०—भारत सरकार, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा, श्रीमती अमरजीत कौर की सेवाएं तुरन्त समाप्त करती है। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारी निदेशक श्रीमती कुशल सिंह, किसी पदधारी की नियुक्ति होने तक तत्काल अध्यक्षा का पदभार ग्रहण करेंगी।

2. श्रीमती अमरजीत कौर अपनी सेवा समाप्ति की तारीख से 28 नवम्बर, 1991 की अवधि के वेतन के बराबर राशि का दावा कर सकेंगी।

सं० 1-33/88-सी० एस० डब्ल्यू० बी०—इस विभाग के दिनांक 24 सितम्बर, 1990 के संकल्प स० 1-33/88-सी० एस० डब्ल्यू० बी० में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती कुशलसिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण किये जाने तक विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती उमा पिल्लै, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा का पदभार ग्रहण करेंगी।

मंजु सेनापति
उप सचिव

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS)

New Delhi, the 16th August 1990

RESOLUTION

No. CCI/CMP/215/3.—Government of India in December, 1986 had announced a Policy on Computer Software Export, Software Development and Training. Under the Policy on Training, there is a schem, to encourage private sector education and training institutions to impart training in computer software and services. Such institutions were offered a set of incentives subject to compliance of specified obligations. These have now been modified as given below:

INCENTIVES

(i) Computer systems, hardware and/or software designed for computer-aided instruction, programmed texts and graphic material in computer media, training equipment and educational aids will be allowed for import by these institutions as per ITC Policy and the customs duty etc. will be applicable as on the date of import.

(ii) Foreign exchange to the extent of US $ 5,000 per 100 man-years of computer related training by the Institution subject to a maximum of US $ 10,000 per annum, will be made available for any of the following purposes:

(a) Hosting foreign experts in computer related areas from abroad subject to normal security clearances;

(b) Buying of consultancy from abroad in Education Technology in computer related areas.

(iii) The institutions which pass the actual quality and service standards stipulated by a special body set up/entrusted by Department of Electronics (DOE) would be permitted to use the words "approved under the Department of Electronics (DOE) Scheme by (name of the authorised body which has evaluated and approved the institution) for conducting the. . . . . (name of the course).

OBLIGATIONS :

(i) The institution shall have a minimum level of infrastructure of equipment and full time faculty as prescribed by DOE or DOE designated body from time to time.

(ii) The trainees at different levels will be given a specified minimum hnads-on experience on computers as laid down by DOE from time to time.

(iii) DOE will issue prescribed syllabi for various courses/training modules from time to time, as broad guidelines.

(iv) The institutions shall allow quality cer,ification procedure of DOE to be carried out. Only the organisation passing the quality of training evaluation, will be eligible for utilising incentives.

(v) Where necessary, DOE will conduct or arrange to conduct through designated organisations, local/national level examinations with paper setting and evaluation. Certificates/diplomas will be awarded by the designated organisations to the successful candidates. These certificates/diplomas may be recognised by Government for the purpose of employment.

(vi) At least 50 per cent of the enrolment in the computer courses/training of the institution will be on the basis of merit (including a specified quota for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates) as per norms prescribed by the Government from time to time.

(vii) The institutions should charge justifiable fees based upon infrastructure etc.

K. ROY PAUL, Jt. Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 14th September 1990

RESOLUTION

No. Q/Hindi.621/8/89.—In continuation of this Ministry's resolution of even number dated 15th May, 1990, 27th June, 1990 and 27th July, 1990 The Government of India in the Ministry of External Affairs have decided to appoint Shri Arun Kumar Singh, Advocate, Sitamarhi (Bihar) and Shri Arjun Bhartiya, Journalist, Rakshol (Bihar) as the co-opted member of the Hindi Advisory Committee of the Ministry.

Other terms and conditions of the Committee as specified in the Ministry's resolution of even number dated 15-5-1990 will remain same.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to :

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Dept. of Parliamentary Affairs, Rajya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit Central Revenues, All members of the Committee and allministries and Departments of Government, of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

GAJANAN WAKANKAR, Jt. Secy.

(DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 13th September 1990

RESOLUTION

No. DWI-64(84)/WP.—In continuation of Resolution dated 15-9-1989, Government of India have decided to substitute the existing Member-Secretary (Shri P. V. Mehta, Addl. Industrial Adviser) of the Development Panel for Wood Based Industries, consequent upon his retirement, with the following name :—

S. No. 25—Shri A. K. Chatterjee, Development Officer (Chem.)

Except for the Panel indicated above, the rest of the composition of the Resolution dated 15-9-1989 remains the same.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN Director (Adm.)

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 6th August 1990

RESOLUTION

No. E-11017/5/89-Hindi.—Government of India in the Department of Science and Technology have decided to implement a scheme of awarding Cash Prizes to the authors of original works in Hindi in the various scientific subjects The salient ftatuures of the scheme is as under :—

1 *Name of Scheme*

This scheme will be called *"DR. MEGHNAD SAHA AWARD SCHEME"*

2. *Objectives*

The scheme aims at encouraging writing of original works in Hindi in the four branches of Science and Technology, viz. Engineering Sciences, Physical Sciences, Life Sciences and Chemical Sciences.

3. *Value of the award*

The following, prizes will be awarded for original works in Hindi :

First Prize	Rs. 15,000
Second Prize	Rs. 10,000
Third Prize	Rs. 5,000

These prizes will be awarded separately in all the four branches of Science & Technology viz. Engineering Sciences, Physical Sciences, Life Sciences and Chemical Sciences.

4. This scheme will be run by the Department of Science and Technology.

5. The prizes will commence from 1990 and will be awarded during every Calendar year. The Department of Science and Technology will invite applications for award of prizes from the authors through the publication of advertisements in leading English and Hindi Newspapers.

6. The authors will submit their application on the prescribed forms duly filled in and send them to the 'Joint Secretary (Admn), Department of Science and Technology, (Ministry of Science and Technology), Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016'. They will also submit requisite number of their manuscripts/published work alongwith their applications. /

7. Eligibility for participation in the prize scheme :

(i) This scheme is open to Indian citizens alongwith those employed in the Scientific Departments viz. DOE, DOD, DOEn, DAE, DOS, DNES, DSIR and DBT except DST only.

(ii) Both the published works and the manuscripts will be considered under this scheme.

(iii) Text books, i e. books prepared specially for classroom instructions, and books intended for children will not be eligible for competitions under this scheme.

(iv) The authors of books entered for the competition will be entitled to copy-right of their books.

(v) Entries submitted on earlier occasions for this competition will not be admissible. The authors will be submitting copies of their published works or legibly typed manuscripts thereof. Illegibly typed copies of the manuscripts are likely to be rejected.

(vi) This Department will have the sole right of selection of books for the award and formulation of rules governing such selection.

(vii) The original works will be required to have been published within the preceding three years, including the year of the award.

(viii) Manuscripts will be awarded under the competition scheme only if these are accompanied by a written undertaking from the author that in case his manuscript is selected for a prize, it will be published within six months of the declaration of the result. The amount of prize in such cases will be given to the author after the publication of the manuscripts.

(ix) Books once awarded a prize under any other scheme run by the Government of India or a State Government or Administration of the Union Territory shall be ineligible for entry under this scheme.

(x) Any autor may submit not more than one entry in each category under the scheme. However, he will be entitled to award of prizes in the different subjects in the same year.

8. *General terms and conditions*

(i) If there are more than one authors of any prize winning entry, the amount of award shall be distributed equally amongst the authors.

(ii) If during any year, the evaluation committee do not find any published work/manuscript suitable for the award, they can withhold the award at their discretion.

(iii) No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prizes or the procedure regarding the selection of books for the award

(iv) The prizes will be awarded every calendar year and if suitable books are not available for any calendar year, no prizes will be awarded during that year.

9. *Evaluation Committee*

(i) There will be an inter-ministrial committee to select the books/manuscripts for the award of prizes.

(ii) The Inter-ministrial committee shall consist of eight members including the Chairman. Additional members may be coopted, if considered necessary.

(iii) The Chairman and the members of the Committee will be appointed by Secretary, Department of Science and Technology. The Chairman of the Evaluation Committee, where necessary may associate with the Committee, experts in the respective disciplines. The capacity of the experts so associated will only be advisory.

(iv) If any member of the Inter-ministrial Committee wishes to participate in the prize scheme, he will cease to be a member of the Committee for that particular year. The decision taken by the Evaluation Committee, shall be final and binding in all respects and no appeal thereof shall lie to any authority

(v) The term of the Committee will be for a period of three years from the date of its constitution. Honorarium as may be fixed shall be paid to each member including the Chairman of the Evaluation Committee for work of evaluation undertaken by him.

(vi) Non official members of the Inter-ministrial Committee will be entitled to TA/DA, as admissible under the rules.

10. *Other Conditions* :

Original Hindi books will mean the following :—

(i) Which have been written originally in Hindi by the competitor/author.

(ii) Which should not be a Hindi translation done by the competitor of any books or author written in some other language;

(iii) Which should not be a Hindi version of any books written in any other language by the competitor himself or by some professional translator;

(iv) Which should have not been written by the competitor in Hindi or in any other language in his official capacity or as a part of his official work;

(v) Which should not be a Hindi translation of any book translated either by the competitor himself or by some professional translator, which has been written by the atuhor either in English or in any other Indian language in his official capacity or as a part of his official work;

(vi) Which should not be an exhaustive/abridged version or summary prepared by the author or by any other person which the author has got written/published in English or in any other language in his official capacity or as part of his official duties; and

(vii) Which should not be any book written under either any governmental contract or under any other governmental scheme.

11. The Department of Science and Technology will have the right to modify this scheme.

ORDER

ORDERED that a copy each of this resolution be sent to all the state governments, all the ministries and departments of the Government of India, all the Universities of India and News agencies.

ORDERED that this resolution should be published in the Gazette of India for general information

M. S. SOKHANDA
Director (Admn.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 14th September 1990

RESOLUTION

Subject :—Vesting of authority in the National Open School Society for holding certain examinations through distance and open learning system at the school stage and for certification thereof

No. F.5-24/90-Sch.3.—The Government of India had set up the National Open School Society, an autonomous and registered body on 23rd November, 1989 to cater to the

Educational needs of school dropouts, working adults, housewives and socially disadvantaged sections, through distance education at the school stage. The Society runs the management of the National Open School which, through distance and open learning system, has been offering courses preparing students for the Secondary and Senior Secondary School Examinations and also offers Bridge (Preparatory) Courses.

2. It has now been decided that, in pursuance of Section 3(ii) of the Memorandum of Association of the National Open School Society, the Society shall conduct the above examinations at the school stage of education upto pre-degree level, whether academic, technical or vocational, which are developed either by the National Open School itself or in collaboration with other agencies, subject to the approval of the Society's Executive Board or as it may be called upon to conduct by the Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Education. The Society shall also be the certifying authority for such courses and programmes and do such acts ancillary to these objects as may be necessary. The Central Board of Secondary Education which was the certifying and examining authority on behalf of the National Open School Society, will cease to be so with effect from the date of issue of this Notification in the Gazette of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries / Departments of the Government of India, University Grants Commission, Prime Minister's Office, National Council of Educational Research and Training, Council of Boards of Secondary Education, Association of Indian Universities, Central Board of Secondary Education, Council for the Indian School Certificate Examinations and the State Boards of Education.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. M. DE REBELLO,
Jt. Secy.

MINISTRY OF WELFARE

DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th September 1990

RESOLUTION

No. 1-33/88-CSWB.—The Government of India is pleased to terminate the services of Smt. Amarjit Kaur, Chairman, Central Social Welfare Board with immediate effect. Smt. Kushal Singh, Executive Director, Central Social Welfare Board will assume charge of Chairman with immediate effect till an incumbent is appointed to that post

2. Smt. Amarjit Kaur will be entitled to claim a sum equivalent to the amount of her salary for the period, from the date of termination of her services till 28th November, 1991.

RESOLUTION

No. 1-33/88-CSWB.—In partial odification of Resolution No. F.1-33/88-C.S.W.B dated 24th September 1990 Smt. Uma Pillai, Joint Secretary in the Department of Women & Child Development will assume charge of the post of Chairman, Central Social Welfare Board with immediate effect till Smt. Kushal Singh assumes office.

MANJU SENAPATY,
Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990